

**न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना**

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 22/2022

दायर दिनांक 12.01.2022

वादी	प्रतिवादीगण
1. पेफाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी प्यावां, तहसील- डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. अमराराम पुत्र किशनाराम 2. आसूराम पुत्र डालूराम 3. चुन्नीदेवी पुत्री हीराराम 4. जीवणी पुत्री नारायणराम 5. बनाराम पुत्र किशनाराम 6. भैराराम पुत्र हीराराम 7. भंवराराम पुत्र हीराराम 8. मेघाराम पुत्र डालूराम 9. मूलाराम पुत्र नारायणराम 10. मूलाराम पुत्र हीराराम 11. मोहनराम पुत्र किशनाराम 12. रामदीनाराम पुत्र नारायणराम 13. शिवकरणराम पुत्र नारायणराम 14. सूजाराम पुत्र किशनाराम समस्त जाति जाट निवासीगण प्यांवा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 15. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-


1. श्री प्रितम सिंह वकील वादी।
2. श्री जयप्रकाश वकील प्रतिवादी सं0 01 ता 03 व 05 ता 14।

-:: निर्णय ::-

दिनांक 14.02.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सरहद प्यांवा पटवार हल्का खरेश भू-अभिलेख क्षेत्र खुनखुना तहसील डीडवाना में स्थित गै.मु.चाह खसरा सं0 654 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 655 रकबा 4.2000 हैक्टे0, खसरा सं0 661 रकबा 0.2400 हैक्टे0, खसरा सं0 662 रकबा 0.3300 हैक्टे0, खसरा सं0 663 रकबा 0.5300 हैक्टे0, खसरा सं0 664 रकबा 2.1600 हैक्टे0 कुल खसरे 6 रकबा 7.4700 हैक्टे0 वादी व प्रतिवादी सं0 1 से 14 की संयुक्त खातेदारी के है। जिसमें वादी पेफाराम का 1/8 हक हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 अमराराम का 1/8 हक हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 आसूराम का 1/32 हक हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 चुन्नीदेवी का 1/32 हक हिस्सा, प्रतिवादी सं0 4 का जीवण का 1/32 हक हिस्सा, प्रतिवादी सं0 5 बनाराम का 1/8 हक हिस्सा, प्रतिवादी सं0 6 भैराराम का 1/32 हक हिस्सा, प्रतिवादी सं0 7 भंवराराम का 1/32 हक हिस्सा, प्रतिवादी सं0 8 मेघाराम का 1/32 का हक हिस्सा, प्रतिवादी सं0 9 मूलाराम का 1/32 का हक हिस्सा, प्रतिवादी सं0 10 मूलाराम का 1/32 हक हिस्सा, प्रतिवादी सं0 11 मोहनराम का 1/8 हक हिस्सा, प्रतिवादी सं0 12 रामदीनाराम का 1/32 हक हिस्सा, प्रतिवादी सं0 13 शिवकरणराम का 1/32 का हक हिस्सा, प्रतिवादी सं0 14 सूजाराम का 1/8 हक हिस्सा व अधिकार दर्ज है। इसके अलावा इन खैतारों के खातेदार रूकमा पुत्री डालूराम ने 1/32 हक हिस्सा, सोहनी पुत्री डालूराम ने 1/32 हक हिस्सा



  
 सहायक कलक्टर  
 डीडवाना (नागौर)

व अधिकार आसूराम पुत्र डालूराम, मेघाराम पुत्र डालूराम के हक में अपना हिस्सा व अधिकार हक तर्क कर दिया है।

यह है कि वाकै सरहद प्यांवा पटवार हल्का खरेश भू-अभिलेख क्षेत्र खुनखुना तहसील डीडवाना में स्थित गै.मु. रास्ता खसरा सं० 530 रकबा 0.0600 हैक्टे०, खेत खसरा सं० 530 रकबा 2.8400, गै.मु. रास्ता खसरा सं० 531 रकबा 0.0500 हैक्टे०, खेत खसरा सं० 531 रकबा 2.3800 हैक्टे० कुल खसरा 2 रकबा 5.3300 हैक्टे० प्रतिवादी सं० 5, प्रतिवादी सं० 3, 6, 7, 10 के पिता स्व० हीराराम की संयुक्त खातेदारी के है। जिसमें प्रतिवादी सं० 05 बनराम का 1/4 हक हिस्सा, प्रतिवादी सं० 9 मूलराम का 1/12 हक हिस्सा, प्रतिवादी सं० 12 का 1/12 हक हिस्सा, प्रतिवादी सं० 13 शिवकरणराम का 1/12 हक हिस्सा, प्रतिवादी सं० 3, 6, 7, 10 के पिता स्व० हीराराम का 1/2 हक हिस्सा व अधिकार दर्ज है।

यह है कि वाकै सरहद प्यांवा पटवार हल्का खरेश भू-अभिलेख क्षेत्र खुनखुना तहसील डीडवाना में स्थित गै.मु.कुण्ड खसरा सं० 397 रकबा 0.0100 हैक्टे०, खेत खसरा सं० 398 रकबा 6.4700 कुल खसरे 2 कुल रकबा 6.4800 हैक्टे० वादी व प्रतिवादी सं० 01 की संयुक्त खातेदारी के है। जिसमें वादी पेफाराम का 1/2 हक हिस्सा, प्रतिवादी सं० 01 अमराराम का 1/2 हक हिस्सा व अधिकार दर्ज है।

यह है कि वाकै सरहद खरेश पटवार हल्का खरेश भू-अभिलेख क्षेत्र खुनखुना तहसील डीडवाना में स्थित खेत खसर सं० 103 रकबा 2.9200 हैक्टे०, प्रतिवादी सं० 2, प्रतिवादी सं० 8, प्रतिवादी सं० 11 की संयुक्त खातेदारी के है। जिसमें प्रतिवादी सं० 2 आसूरामका 1/4 हक हिस्सा, प्रतिवादी सं० 8 मेघाराम का 1/4, प्रतिवादी सं० 11 मोहनराम का 1/2 हक हिस्सा व अधिकार दर्ज है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है :-

1. यह है कि वाद-पत्र में उपरोक्त वर्णित वाकै सरहद प्यांवा में स्थित, गै.मु.चाह खसरा सं० 654 रकबा 0.0100, खेत खसरा सं० 655 रकबा 4.2000 हैक्टे० भूमि में से बहक वादी पेफाराम, प्रतिवादी सं० 01 अमराराम, प्रतिवादी सं० 5 बनाराम, प्रतिवादी सं० 11 मोहनराम, प्रतिवादी सं० 14 सूजाराम प्रत्येक की 1/8 हक हिस्से व खातेदारी रहेगी व प्रतिवादी सं० 2 आसूराम, प्रतिवादी सं० 8 मेघाराम दोनों का संयुक्त 1/8 हिस्सा रहेगा व प्रतिवादी सं० 13 शिवकरणराम का तीनों का संयुक्त रूप से 1/4 हक हिस्सा व अधिकार खातेदारी में दर्ज फरमाया जावे व इन खेतों की खातेदारी में से प्रतिवादी सं० 3 चुन्नीदेवी, प्रतिवादी सं० 6 भैराराम, प्रतिवादी सं० 07 भंवराराम, प्रतिवादी सं० 10 मूलाराम का नाम खातेदारी में से हटाया जाने की घोषणा की जाकर तदनुसार बंटवारा व रेकॉर्ड दुरुस्ती सादर फरमावें।
2. यह है कि वाद-पत्र में उपरोक्त वर्णित वाकै सरहद प्यांवा में स्थित खेत खसरा सं० 661 रकबा 0.2400 हैक्टे०, खेत खसरा सं० 662 रकबा 0.3300 हैक्टे० भूमि में से प्रतिवादी सं० 4 जीवणी, प्रतिवादी सं० 9 मूलाराम, प्रतिवादी सं० 12 रामदीनाराम, प्रतिवादी सं० 13 शिवकरण का नाम इन खेतों की खातेदारी में नाम दर्ज फरमाया जावे व इन खेतों की खातेदारी में वादी पेफाराम, प्रतिवादी सं० 1 अमराराम, प्रतिवादी सं० 2 आसूराम, प्रतिवादी सं० 3 चुन्नीदेवी, प्रतिवादी सं० 5 बनाराम, प्रतिवादी सं० 6 भैराराम, प्रतिवादी सं० 7 भंवराराम, प्रतिवादी सं० 8 मेघाराम, प्रतिवादी सं० 10 मूलाराम, प्रतिवादी सं० 11 मोहनराम, प्रतिवादी सं० 14 सूजाराम का नाम खातेदारी में से हटाया जाने की घोषणा की जाकर तदनुसार बंटवारा व रेकॉर्ड दुरुस्ती सादर फरमावें।
3. यह है कि वाद में उपरोक्त वर्णित वाकै सरहद प्यांवा में स्थित खेत खसरा सं० 663 रकबा 0.5300 हैक्टे, खसरा सं० 664 रकबा 2.1600 हैक्टे० भूमि में से वादी पेफाराम, प्रतिवादी सं० 1 अमराराम, प्रतिवादी सं० 2 आसूराम, प्रतिवादी सं० 8 मेघाराम, प्रतिवादी सं० 11 मोहनराम, प्रतिवादी सं० 14 सूजाराम का नाम दर्ज फरमाया जावे व इन खेतों की खातेदारी में प्रतिवादी सं० 3 चुन्नी देवी, प्रतिवादी सं० 4 जीवणी, प्रतिवादी सं० 5 बनाराम, प्रतिवादी सं० 6 भैराराम, प्रतिवादी सं० 7

  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नाभौर)

- भंवराराम, प्रतिवादी सं० 9 मूलाराम, प्रतिवादी सं० 13 शिवकरणराम का नाम खातेदारी में से हटाया जाने की घोषणा की जाकर तदनुसार बंटवारा व रेकर्ड दुरुस्ती सादर फरमावें।
4. यह है कि वाद में उपरोक्त वर्णित वाकै सरहद प्यांवा में स्थित गै.मु. रास्ता खसरा सं० 530 रकबा 0.0600 हैक्टे०, खेत खसरा सं० 530 रकबा 2.8400 हैक्टे० भूमि में से प्रतिवादी सं० 3 चुन्नीदेवी, प्रतिवादी सं० 6 भैराराम, प्रतिवादी सं० 7 भंवराराम, प्रतिवादी सं० 10 मूलाराम इनके हक हिस्से व अधिकार व खातेदारी में 3 बीघा भूमि तथा इस खसरे की शेष रही भूमि में से प्रतिवादी सं० 5 बनाराम का 1/2 व प्रतिवादी सं० 2 आसूराम तथा प्रतिवादी सं० 8 मेघाराम का 1/2 हक हिस्सा व अधिकार व खातेदारी की रहेगी व इन खसरा में से प्रतिवादी सं० 9 मूलाराम, प्रतिवादी सं० 12 रामदीनाराम, प्रतिवादी 13 शिवकरण का नाम हटाया जाने की घोषणा की जाकर तदनुसार बंटवारा व रेकर्ड दुरुस्ती सादर फरमावें।
  5. यह है कि वाद पत्र में उपरोक्त वर्णित सरहद प्यांवा में स्थित गै.मु. रास्ता खसरा सं० 531 रकबा 0.0500 हैक्टे०, खेत खसरा सं० 531 रकबा 2.3800 हैक्टे० सम्पूर्ण भूमि में – इस खसरे की सम्पूर्ण भूमि में प्रतिवादी सं० 3 चुन्नीदेवी, प्रतिवादी सं० 6 भैराराम, प्रतिवादी सं० 7 भंवराराम, प्रतिवादी सं० 10 मूलाराम का नाम बतौर खातेदार स्व. हीराराम की जगह दर्ज किया जायेगा व इस खेत की खातेदारी में से प्रतिवादी सं० 5 बनाराम, प्रतिवादी सं० 13 शिवकरणराम का नाम हटाया जाने की घोषणा की जाकर तदनुसार बंटवारा व रेकर्ड दुरुस्ती सादर फरमावें।
  6. यह है कि वाद पत्र में उपरोक्त वर्णित सरहद प्यांवा में स्थित गै.मु. कुण्ड खसरा सं० 397 रकबा 0.0100 हैक्टे०, खेत खसरा सं० 398 रकबा 6.4700 कुल खसरे 2 कुल रकबा 6.4800 हैक्टे० भूमि में से :- प्रतिवादी सं० 02 आसूराम, प्रतिवादी सं० 08 मेघाराम के हक हिस्से व अधिकार में इन दोनों के एक हिस्सा व शेष रही भूमि वादी पेफाराम, प्रतिवादी सं० 01 अमराराम, प्रतिवादी सं० 5 बनाराम, प्रतिवादी सं० 11 मोहनराम, प्रतिवादी सं० 14 सुजाराम के बराबर-बराबर हक हिस्से व अधिकार तथा खातेदारी की जाकर तदनुसार बंटवारा व रेकर्ड दुरुस्ती सादर फरमावें।
  7. यह है कि वाद-पत्र में वर्णित वाकै सरहद खरेश में स्थित खेत खसरा सं० 103 रकबा 2.9200 हैक्टे० इस खेत की खातेदारी वादी फेफाराम, प्रतिवादी सं० 11 मोहनराम, प्रतिवादी सं० 14 सुजाराम इन तीनों का बराबर-बराबर हक हिस्से व अधिकार तथा खातेदारी की घोषणा की जाकर तदनुसार बंटवारा व रेकर्ड दुरुस्ती सादर फरमावें।
  8. यह है कि वाद में उपरोक्त वर्णित सरहद खरेश में स्थित खेत खसरा सं० 103 रकबा 2.9200 हैक्टे० इस खेत की खातेदारी वादी फेफाराम, प्रतिवादी सं० 11 मोहनराम, प्रतिवादी सं० 14 सुजाराम इन तीनों का बराबर-बराबर हक हिस्सा व अधिकार की खातेदारी दर्ज फरमाया जावे व प्रतिवादी सं० 2 आसूराम, प्रतिवादी सं० 8 मेघाराम का नाम खातेदारी में से हटाया जाने की घोषणा की जाकर तदनुसार बंटवारा व रेकर्ड दुरुस्ती सादर फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं० 01 ता 03 व 05 ता 14 की तरफ से राजीनामा पेश हुआ। जिसे बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

पक्षकारान् राजीनामा अनुसार खातेदारी चाहते हैं। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, राजीनामा अनुरूप डिक्री सादर किया जाता है।

  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नाबौर)

—:आदेश :-


अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै प्यांवा खेत खसरा सं० 530, 531, 397, 398, 654, 655, 661, 662, 663, 664 व सरहद खरेश के खसरा सं० 103 में राजीनामा अनुसार राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिर्कोर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

  
(कार्तिकेय मीणा)  
सहायक कलेक्टर  
R.A.S.  
डीडवाना (नामौर)  
सहायक कलेक्टर

डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 14.02.2022 को सरे इजलास में सुनाया

गया।

  
(कार्तिकेय मीणा)  
सहायक कलेक्टर  
R.A.S.  
डीडवाना (नामौर)  
सहायक कलेक्टर

डीडवाना

डिक्री बमुकददमें इब्तदाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना  
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 22 / 2022

दायर दिनाँक 12.01.2022

वादी	प्रतिवादीगण
1. पेफाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी प्यावां, तहसील- डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. अमराराम पुत्र किशनाराम 2. आसूराम पुत्र डालूराम 3. चूनीदेवी पुत्री हीराराम 4. जीवणी पुत्री नारायणराम 5. बनाराम पुत्र किशनाराम 6. भैराराम पुत्र हीराराम 7. भंवराराम पुत्र हीराराम 8. मेघाराम पुत्र डालूराम 9. मूलाराम पुत्र नारायणराम 10. मूलाराम पुत्र हीराराम 11. मोहनराम पुत्र किशनाराम 12. रामदीनाराम पुत्र नारायणराम 13. शिवकरणराम पुत्र नारायणराम 14. सूजाराम पुत्र किशनाराम समस्त जाति जाट निवासीगण प्यांवा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत  
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 14.02.2022


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री प्रितम सिंह वकील वादी व श्री जयप्रकाश वकील प्रतिवादी सं0 01 ता 03 व 05 ता 14 की और से मद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै प्यांवा खेत खसरा सं0 530, 531, 397, 398, 654, 655, 661, 662, 663, 664 व सरहद खरेश के खसरा सं0 103 में राजीनामा अनुसार राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिर्काँर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 14.02.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

  
सहायक कलक्टर  
डीडवाडीडवा(नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	— —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

  
 सहायक कलेक्टर  
 डीडवाना (नागौर)